न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 35/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
रसूल खां पुत्र भवरू खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी पादरली तुरकान तहसील रानी		सरकार जरिये तहसीलदार रानी

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री कमलेश चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20/2/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रानी द्वारा प्रकरण संख्या 891/2015 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2015 एवं जिला कलक्टर पाली द्वारा अपील संख्या 42/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार रानी के समक्ष पटवारी हल्का इटन्दरा मेडतीयान द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पादरली तुरकान के खसरा नम्बर 188 रकबा 10.00 बीघा की भूमि पर कब्जा काश्त कर अतिक्रमण किया गया है, इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार रानी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीस दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रकरण में अपीलाण्ट से नोटिस प्रोपर तामील भी नहीं हुआ, इसके बावजूद विधिवत तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करता हो। यदि पुराना कब्जा था, तो प्रकरण में नियमितिकरण की कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की जाकर विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर पाली के समक्ष दायर करवाई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट की अपील खारिज की गई। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में किसी भी स्तर पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जैर अपील वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन है। इस कारण प्रकरण रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित था, इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पादरली तुरकान के खसरा नम्बर 188 रकबा 10.00 बीघा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में तहसीलदार रानी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के कारण तीस दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पादरली तुरकान के खसरा नम्बर 188 रकबा 10.00 बीघा किस्म गै0मु0 खारच की भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का इटन्दरा मेडतियान द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में तहसीलदार रानी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 07.08.2015 की तारीख पेशी नियत की। उक्त दिनांक को स्वयं अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा जवाब हेतु समय चाहा, किन्तु इसके अगली तारीख को जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश बेदखली पारित करते हुए जुर्माना आरोपित किया तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को तीस दिवस के सिविल कारवास से दण्डित करने के आदेश पारित किये गए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अंकित कैफियत में उक्त भूमि पर अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है, जिसका अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं किया गया है। जहां तक आवंटन/नियमन का प्रश्न है, तो इस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है तथा न ही इस अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न फर्द बेदखली रिपोर्ट संलग्न की है, जिसके अनुसार जैर अपील वादस्थ भूमि से अपीलाण्ट को दिनांक 05.11.2014 को बेदखल किया जाकर भूमि को कब्जे सरकार लिया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया गया, जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की परिभाषा में परिभाषित होने के कारण जैर अपील आदेश के ज़रिये अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के कारण तीस दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया, जिसमें किसी प्रकार के हस्तेक्षप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा तहसीलदार रानी द्वारा प्रकरण संख्या 891/2015 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2015 एवं जिला कलक्टर पाली द्वारा अपील संख्या 42/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/2/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बादे हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली